न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 17/2019 अपील /डूंगरपुर
पंजीयन दिनांक– 06–10–2015
निर्णय दिनांक– 02–05–2019

1. श्री मालिया पिता रागला जी मीण ानिवासी करमात तहसील साबला जिला डूंगरपुर
..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री हकरिया पिता स्व0 पूरिया जी मीणा निवासी पालदेवला जिलीा प्रतापगढ़
2. श्री केईया पिता स्व0 पूरिया जी मीणा निवासी पालदेवला जिलीा प्रतापगढ़
3. सरपंच, ग्राम पंचायत पाल निठाउवा पंचायत समिति आसपुर जिला डूंगरपुर
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साबला जिला डूंगरपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :
श्री संजय बोहरा : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री हनुमान प्रसाद शर्मा : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आसपुर
के प्रकरण संख्या 02/2014 निर्णय दिनांक 15–07–2015

निर्णय

दिनांकः– 02.05.2019

अपीलार्थीगण द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 76 के तहत यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आसपुर के निर्णय दिनांक 15.07.2015 से असंतुष्ट होकर धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ दिनांक 18.09.2015 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 30.01.2014 के विरूद्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेश करते हुए निवेदन किया कि वे खातेदार देलकी के पुत्र है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर देलकी को लाऔलाद बताते हुए नामान्तरकरण वर्तमान अपीलान्ट मालिया के नाम स्वीकृत कर दिया है। अतः नामान्तरकरण संख्या 19 अपास्त किया जायें। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 15.07.2015 से नामान्तरकरण संख्या 19 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को वारीसान की जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 15.07.2015 से रूष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.09.2015 को पेश की गई, जिसमें अपीलान्ट मालिया द्वारा वर्णित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है क्योंकि मूल रूप से भूमियां ऐरिया मीणा की थी तथा उसके दो लड़के गौतमा व रागला थे। गौतमा के बड़े होने के कारण ऐरिया का नामान्तरकरण सिर्फ गौतमा के नाम खुल गया। रागला के स्वर्गवास के बाद उसका लड़का मालिया जिन्दा है तथा गौतमा के बाद कुलिया जमीन का मालिक मालिया हुआ क्योंकि मीणा जाति में लड़की का हक नहीं होता । गौतमा की कुलिया जायदाद का मालिक मालिया होकर उसी का कब्जा चला आ रहा है। गौतमा के लड़का नहीं होने से उसकी लड़की देलकी के नाम बिना कब्जे के नामान्तरकरण हो गया, देलकी शादी शुदा है। अपीलान्ट द्वारा अन्य उज्र यह लिये गये कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण मियाद बाहर था जिस पर कोई निर्णय नहीं किया गया, अधीनस्थ न्यायालय ने नोनस्पीकिंग आदेश आदेशिका पर ही पारित कर दिये। अनुसूचित जनजाति में पुत्री का हक नहीं होता। भूमि पर अपीलान्ट ही काबिज है तथा भूमि पर रेस्पो. 1 व 2 का कब्जा नहीं है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 25.04.2019 को सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। रेस्पो. सं. 3 व 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित है तथा वे अन्यथा भी औपचारिक पक्षकारान है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस भी पेश की तथा अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए स्वयं को रागला का वारीस होना बताया तथा इसी कारण गौतमा का भतीजा होने के कारण गौतमा का भी वारीस अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों का हक नहीं होने से स्वयं होना तथा मियाद पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्णन नहीं करना तथा नोनस्पीकिंग आदेश होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में मियाद का कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भतः विधि विरूद्ध निर्णय होने के कारण उसे अपास्त किया है। देलकी को लाऔलाद बताना न सिर्फ तथ्य पूर्ण है बल्कि झूठा भी है। अनुसूचित जनजाति में पुत्री का हक नहीं होने का कोई विधिक आधार नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट की अपील खारीज की जावें।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर मनन किया तथा अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों का परिशीलन किया।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दफा 5 जा. मि. के आवेदन एवं शपथ पत्र के आधार पर मियाद कण्डोन किया जाना उचित समझते है।

प्रकरण में अब हम अपीलान्ट द्वारा अपील पर लिये गये अपील उजरात पर विवेचन करना उचित समझते है। अपीलान्ट का प्रमुख उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद पर कोई विवेचन नहीं किया गया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 19 का निर्णय पंचायत द्वारा दिनांक 30.01.2014 को मृतक देलकी को लाऔलाद बताते हुए पारित किया गया है। जिसकी अपील उसके पुत्रों द्वारा दिनांक 28.11.2014 को की गई है। देलकी के पुत्रों को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व से होने के तथ्यों की कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट स्वयं भी अपनी अपील मेमो में पेश शुदा सजरे में देलकी के दो पुत्र रेस्पो. सं. 1 व 2 होना मानता है। यह स्पष्ट है कि देलकी लाऔलाद फोत नहीं हुई बल्कि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत स्थिति अनुसार रेस्पो. सं. 1 व 2 उसके पुत्र थे, जिन्हे वंचित करते हुए तथा देलकी लाऔलाद बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 19 पंचायत द्वारा 30.01.2014 को स्वीकृत किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि झूठे/मिथ्या/फर्जी प्रकरणों में मियाद गौण होती है क्योंकि ऐसे प्रकरण प्रारम्भतः विधि शून्य होते है तथा विधि शून्य प्रकरणों में मियाद का कोई महत्व नहीं होता । अपीलान्ट द्वारा मियाद के बिन्दु पर निम्न न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की गई है कि मियाद के बिन्दु पर निर्णय नहीं किये जाने पर आदेश अविधिक होता है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. RRT 2011 (1) – 421
2. RRT 2014 (1) – 248
3. RBJ 2009 -786
4. CT 2018(1) Raj- 353

उपरोक्त कोई भी न्यायिक नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने निर्णय झूठे/मिथ्या तथ्यों के आधार पर किया है कि देलकी लाऔलाद फोत हुई है जबकि उभय पक्षों के द्वारा स्वीकृत स्थिति अनुसार रेस्पो. सं. 1 व 2 उसके पुत्र उपलब्ध है। उपरोक्तानुसार ये न्यायिक नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलान्ट का अन्य उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका पर नोनस्पीकिंग आदेश पारित किया है जो आदेश की परिभाषा में ही नहीं आता। अपीलान्ट द्वारा इस बाबत न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 2010 पेज 611 पेश की है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों का विवरण करते हुए आदेश पारित नहीं किया है परन्तु रेस्पोडेन्ट. द्वारा पेश शुदा अपील के खण्डन में वर्तमान अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब अथवा रेकार्ड पेश नहीं किया है तथा वर्तमान में भी यह तथ्य अखण्डित ही नहीं होकर स्वीकृत स्थिति है कि देलकी के दो पुत्र है जबकि उसे लाऔलाद बताते हुए पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण झूठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत कर देने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय करने का तहसीलदार को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने के आदेश को विध्यमान्य परिस्थितियों में अतार्किक/अविधिक मानने का कोई औचित्य नहीं है एवं तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर एवं उज्र मान्य नहीं है।

अपीलान्ट का अन्य उज्र यह है कि मीणा जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता, इस हेतु अपीलान्ट द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरे–

1- RBJ 2007- 114
2- RRT 2016(2)- 1437
3- RRT 2014(2)- 901

पेश की है। वस्तुतः प्रकरण के तथ्य यह है कि विवादित भूमियां वर्तमान विवादित नामान्तरकरण से तुरन्त पूर्व देलकी के नाम दर्ज थी तथा उसके पुत्र होते हुए उसे लाऔलाद बताते हुए देलकी की विरासत का नामान्तरकरण उसके चाचा के पुत्र मालिया के नाम दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट का कथन यह है कि भूमियां मूलतः मूल पुरूष ऐरिया की थी तथा उसके दो पुत्र गौतमा व रागला में से अकेले गौतमा के नाम भूमियां दर्ज कर दी गई व गौतमा के बाद भूमियां देलकी के नाम आ गई, अपीलान्ट का कथन यह है कि ऐरिया की भूमियों में रागला जो कि अपीलान्ट के पिता थे उन्हे वंचित कर दिया गया । अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे भूमियां ऐरिया अथवा गौतमा की होना अथवा ऐरिया से गौतमा को प्राप्त होना प्रमाणित होता हो। यदि भूमियों से रागला अपीलान्ट का पिता वंचित रहा है तो मालिया अपीलान्ट को गौतमा अकेले के नाम नामान्तरकरण खुलने की अपील का विधिक अधिकार है न कि अपीलान्ट मालिया को गौतमा की पुत्री देलकी के पुत्र होते हुए उसे (देलकी को) लाऔलाद बताते हुए स्वयं (चचेरे भाई) को देलकी की विरासत में वारीस बताकर नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवा ले। अर्थात् यह प्रकरण देलकी की विरासत से संबंधित है न कि ऐरिया की विरासत से संबंधित, अर्थात् इस प्रकरण में मीणा जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार बाबत पुत्रियों के हक की मीमांसा का कोई औचित्य ही नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है, वैसे भी मीणा जाति में पुत्रियों का हक नहीं होने बाबत कोई रूढि होने की साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है।

प्रकरण में हम यह भी पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण संख्या 19 जो कि प्रारम्भतः झूठ तथ्यों के आधार पर खोलकर निर्णित किया गया है, उसे अपास्त किये जाने का निर्णय कर प्रकरण को उभय पक्षों को सुनकर भू–अभिलेख अधिकारी (तहसीलदार) को गुणावगुण पर निर्णय करने को प्रतिप्रेषित किया है, तद्नुसार झूठे तथ्यों के आधार पर निर्णित नामान्तरकरण को बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा यदि अपीलान्ट अपने कोई हक अधिकार मानता है अथवा प्रमाणित करना चाहता है तो उसे इस हेतु अवसर उपलब्ध है, परन्तु निहायती झूठे तथ्यों के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को बहाल नहीं रखा जा सकता, न ही विधि की ऐसी कोई मंशा है। उपरोक्तानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण को अपास्त किये जाकर प्रकरण को तहसीलदार को उभय पक्षों को सुनकर निर्णय करने के प्रतिप्रेषण आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो, आदेश सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official